न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 27.01.2021

प्रकरण संख्या :– 13 / 2021 (2021 / 55)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्शक

गुलाबसिंह आत्मज बालुसिंह राजपुत निवासी अरनिया जागीर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. सम्पतसिंह आत्मज बालुसिंह राजपुत
2. भोमसिंह उर्फ भवानीसिंह आत्मज कुन्दनसिंह राजपुत
3. मुलसिंह आत्मज बालुसिंह राजपुत
   सर्व निवासी अरनिया जागीर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री एम0एस0 चुण्डावत

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–09.04.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम अरनिया पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 410 रकबा 2.95 हे0, 414 रकबा 2.86 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.81 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 38 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अरनिया पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 410 रकबा 2.95 हे0, 414 रकबा 2.86 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.81 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 38 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1350/– (एक हजार तीन सौ पचास रू. मात्र) राजकोश में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1350/– (एक हजार तीन सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा